|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **2021 का विधेयक संख्यांक 54 .**  [दि नेशनल इंस्टिट्यूट आफ फार्माश्यूटिकल एंड रिसर्च (अमेंडमेंट) बिल, 2021 का हिन्दी अनुवाद]  **राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2021** |  |  | |
|  |  | **राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 1998**  **का और संशोधन**  **करने के लिए**  **विधेयक** |  |  | |
|  |  | भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप से अधिनियमित हो :— |  |  | |
|  |  | **अध्याय 1**  **प्रारंभिक** |  |  | |
|  |  | **1.** (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2021 है ।  (2) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे । |  | संक्षिप्त नाम और प्रारंभ । | |
| वृहत् नाम का संशोधन । |  | **2.** राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 1998 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) में वृहत् नाम के स्थान पर निम्नलिखित वृहत् नाम को रखा जाएगा, अर्थात् :**—** |  | 1998 का 13 | |
|  |  | “कतिपय राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थाओं को राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं घोषित करने के लिए और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए अधिनियम” |  |  | |
| धारा 1 का संशोधन । |  | **3.** मूल अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (1) में “संस्थान” (एकवचन) शब्द के स्थान पर, “संस्थान” (बहुवचन) शब्द रखा जाएगा । |  |  | |
| धारा 2 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन । |  | **4.** मूल अधिनियम की धारा 2 के स्थान पर निम्नलिखित धारा को रखा जाएगा, अर्थात् :**—** |  |  | |
| कतिपय संस्थानों की राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के रूप में घोषणा । |  | “2. (1) जबकि अनुसूची में उल्लिखित संस्थाओं के प्रयोजन वे हैं जो उन्हें राष्ट्रीय महत्व के संस्थान बनाते हैं, यह घोषणा की जाती है कि प्रत्येक संस्थान राष्ट्रीय महत्व की संस्था है ।  (2) यह घोषित किया जाता है कि राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2021 के प्रारंभ पर और उसके पश्चात् धारा 4 की उपधारा (2क) के अधीन स्थापित प्रत्येक संस्थान राष्ट्रीय महत्व की संस्था होगी ।”। |  |  | |
| धारा 3 का संशोधन । |  | **5.** मूल अधिनियम की धारा 3 में,**—**  (i) खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :**—**  ‘(क) अनुसूची के स्तंभ (3) में उल्लिखित किसी संस्थान के संबंध में “नियत दिन से” उस अनुसूची के स्तंभ (4) में उसके सामने यथा उल्लिखित उसकी स्थापन की तारीख अभिप्रेत है ;’; |  |  | |
|  |  | (ii) खंड (ख) और खंड (ग) में, “संस्थान” शब्द के स्थान पर, “किसी संस्थान” शब्द रखे जाएंगे ;  (iii) खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :**—**  ‘(गक) “परिषद्” से धारा 30क की उपधारा (1) के अधीन स्थापित परिषद् अभिप्रेत है ;’;  (iv) खंड (घ), खंड (ङ) और खंड (च) में, “संस्थान” शब्द के स्थान पर, “किसी संस्थान” शब्द रखे जाएंगे ; |  |  | |
|  |  | (v) खंड (छ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :**—**  ‘(छ) “संस्थान” से अनुसूची के स्तंभ (3) में उल्लिखित कोई संस्थान अभिप्रेत है ;  (छक) “सदस्य” से धारा 30क की उपधारा (2) के अधीन नामनिर्दिष्ट या निर्वाचित परिषद् का कोई सदस्य अभिप्रेत है ;  (छख) “विहित” से इस अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;  (छग) “अनूसूची” से इस अधिनियम की अनुसूची अभिप्रेत है ;’; |  |  | |
|  |  | (vi) खंड (ज) और खंड (ञ) में, “संस्थान” शब्द के स्थान पर, “किसी संस्थान” शब्द रखे जाएंगे ; |  |  | |
|  |  | **6.** मूल अधिनियम की धारा 4 में,**—**  (i) पार्श्व शीर्ष में, “संस्थान की स्थापना” शब्द के स्थान पर, “संस्थानों की स्थापना और निगमन” शब्द रखे जाएंगे ;  (ii) उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :-  “(1) अनुसूची के स्तंभ (3) में उल्लिखित प्रत्येक संस्थान निगमित निकाय होगा ।”।  (iii) उपधारा (2) में, “संस्थान” शब्द के स्थान पर, “प्रत्येक संस्थान” शब्द रखा जाएगा ;  (iv) उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएंगी, अर्थात् :**—**  “(3) किसी संस्थान का शासी बोर्ड, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :**—**  (क) अध्यक्ष, जो विख्यात शिक्षाविद् या वैज्ञानिक या प्रौद्योगिकीविद् या वृत्तिक होगा जिसे कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा ;  (ख) संस्थान का निदेशक, पदेन ;  (ग) राष्ट्रीय औषध संस्थान और अनुसंधान से संबद्ध भारत सरकार के औषध विभाग का संयुक्त सचिव, पदेन ;  (घ) संबद्ध राज्य सरकार में चिकित्सा या तकनीकी शिक्षा से संबंधित सचिव, पदेन ;  (ङ) भारत सरकार मे औषधि महानियंत्रक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का प्रतिनिधि, पदेन ;  (च) तीन प्रख्यात औषध विशेषज्ञ जिनमें से कम से कम एक विशेष ज्ञान या शिक्षा, अनुसंधान और प्रौद्योगिकीविद् मे व्यावहारिक अनुभव रखने वाली महिला होगी जो परिषद् द्वारा नामनिर्देशित की जाएगी ;  (छ) दो औषध उद्योगपति जो परिषद् द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे ;  (ज) संस्थान के दो आचार्य जो सिनेट द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे;  (v) उपधारा (4) के परंतुक का लोप किया जाएगा । |  | धारा 4 का संशोधन । | |
|  |  | **7.** मूल अधिनियम की धारा 4क में, “अपनी अधिकारिता के भीतर” शब्दों का लोप किया जाएगा । |  | धारा 4क का संशोधन । | |
| धारा 5 का लोप । |  | **8.** मूल अधिनियम की धारा 5 का लोप किया जाएगा । |  |  | |
| धारा 6 का संशोधन । |  | **9.** मूल अधिनियम की धारा 6 में,**—**  (i) “नियम दिन से ही” शब्दों के स्थान पर, “राष्ट्रीय औषध संस्थान और शिक्षा अनुसंधान, मोहाली के संबंध में नियत दिन से ही” शब्द रखे जाएंगे ;  (ii) खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंडों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :**—**  “(कक) सोसाइटी की या उससे संबंधित सभी चल और अचल संपत्ति उस संस्थान में निहित होगी ।”।  (iii) “संस्थान” शब्द के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं “उस संस्थान” शब्द को रखा जाएगा । |  |  | |
| धारा 7 का संशोधन । |  | **10.** मूल अधिनियम की धारा 7 में,**—**  (क) पार्श्व शीर्ष में, “संस्थान” शब्द के स्थान पर, “संस्थानों” शब्द को रखा जाएगा ;  (ख) खंड (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित खंडों को रखा जाएगा, अर्थात् :-  “(ii) औषध शिक्षा में, स्नातक और मास्टर डिग्री, डॉक्टरेट और पोस्ट डॉक्टरेट उपाधि और अनुसंधान पाठ्यक्रम विकसित करना या उससे संबंधित एकीकृत पाठ्यक्रम विकसित करना ;  (iiक) कार्यपालक शिक्षा पाठ्यक्रम, अल्पकालिक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण कार्यक्रम, ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा डिप्लोमा पाठ्यक्रम और ऐसे अन्य अल्पकालिक कार्यपालक पाठ्यक्रम संचालित करना ;”;  (ग) खंड (v) में, “संकाय के सदस्यों और विद्वानों का आदान-प्रदान करके” शब्दों के स्थान पर, “सहयोगकारी अनुसंधान प्रोन्नत करके, संकाय के सदस्यों, अनुसंधानकर्ता और विद्वानों का आदान-प्रदान करके” शब्द रखे जाएंगे ;  (घ) खंड (x) के पश्चात्, निम्नलिखित खंडों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :**—**  “(xक) औषधि प्रकटीकरण और विकास तथा चिकित्सा युक्ति के लिए उत्कर्ष केंद्र स्थापित करना ;”। |  |  | |
| धारा 8 का संशोधन । |  | **11.** मूल अधिनियम की धारा 8 में, “बोर्ड” शब्द के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, “किसी संस्थान का बोर्ड” शब्द रखे जाएंगे । |  |  | |
| धारा 9 का संशोधन । |  | **12.** मूल अधिनियम की धारा 9 में,**—**  (i) पार्श्व शीर्ष में, “संस्थान” शब्द के स्थान पर, “संस्थानों” शब्द को रखा जाएगा ;  (ii) उपधारा (1) में, “संस्थान” शब्द के स्थान पर, “प्रत्येक संस्थान” शब्द रखे जाएंगे ;  (iii) उपधारा (2) में, “संस्थान” शब्द के स्थान पर, “किसी संस्थान” शब्द रखे जाएंगे । |  |  | |
|  |  | **13.** मूल अधिनियम की धारा 10 में,-  (i) पार्श्व शीर्ष में, “संस्थान” शब्द के स्थान पर, “संस्थानों” शब्द को रखा जाएगा ;  (ii) “संस्थान” शब्द के स्थान पर, “प्रत्येक संस्थान” शब्द रखे जाएंगे । |  | धारा 10 का संशोधन । | |
|  |  | **14.** मूल अधिनियम की धारा 11 में,-  (i) उपधारा (1) में, “संस्थान” शब्द के स्थान पर, “संस्थानों” शब्द को रखा जाएगा ;  (ii) उपधारा (2) में “संस्थान” शब्द के स्थान पर, “प्रत्येक संस्थान” शब्द रखे जाएंगे । |  | धारा 11 का संशोधन । | |
|  |  | **15.** मूल अधिनियम की धारा 12 में,-  (i) पार्श्व शीर्ष में, “संस्थान” शब्द के स्थान पर, “संस्थानों” शब्द को रखा जाएगा ;  (ii) प्रारंभिक भाग में, “संस्थान” शब्द के स्थान पर, “किसी संस्थान” शब्द रखे जाएंगे । |  | धारा 12 का संशोधन । | |
|  |  | **16.** मूल अधिनियम की धारा 13 में, प्रारंभिक भाग में, “संस्थान” शब्द के स्थान पर, “प्रत्येक संस्थान” शब्द रखे जाएंगे । |  | धारा 13 का संशोधन । | |
|  |  | **17.** मूल अधिनियम की धारा 14 में, “सीनेट” शब्द के स्थान पर, “प्रत्येक संस्थान की सीनेट” शब्द रखे जाएंगे । |  | धारा 14 का संशोधन । | |
|  |  | **18.** मूल अधिनियम की धारा 16 में, “संस्थान का निदेशक” शब्द के स्थान पर, “प्रत्येक संस्थान का निदेशक” शब्द रखे जाएंगे । |  | धारा 16 का संशोधन । | |
|  |  | **19.** मूल अधिनियम की धारा 17 में, “संस्थान” शब्द के स्थान पर, “प्रत्येक संस्थान” शब्द रखे जाएंगे । |  | धारा 17 का संशोधन । | |
|  |  | **20.** मूल अधिनियम की धारा 18 में, “संस्थान के कुल सचिव” शब्द के स्थान पर, “प्रत्येक संस्थान के कुल सचिव” शब्द रखे जाएंगे । |  | धारा 18 का संशोधन । | |
|  |  | **21.** मूल अधिनियम की धारा 20 में दी गई मूल धारा के स्थान पर, “संस्थान को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का दक्षतापूर्वक निर्वहन करने में समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए, केंद्रीय सरकार, संसद् द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोजन के पश्चात् संस्थान को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसी धनराशि का और ऐसी रीति से, जो वह उचित समझे, संदाय करेगी” यह धारा रखी जाएगी । |  | धारा 20 का संशोधन । | |
|  |  | **22.** मूल अधिनियम की धारा 21 में,**—**  (i) पार्श्व शीर्ष में, “संस्थान” शब्द के स्थान पर, “संस्थानों” शब्द को रखा जाएगा ;  (ii) उपधारा (1) में, “संस्थान एक निधि रखेगा” शब्दों के स्थान पर, “प्रत्येक संस्थान एक निधि रखेगा” शब्द रखे जाएंगे । |  | धारा 21 का संशोधन । | |
|  |  | **23.** मूल अधिनियम की धारा 22 में, “संस्थान” शब्द के स्थान पर, “प्रत्येक संस्थान” शब्द रखे जाएंगे । |  | धारा 22 का संशोधन । | |
| धारा 23 का संशोधन । |  | **24.** मूल अधिनियम की धारा 23 में,**—**  (i) उपधारा (1) में, “संस्थान” शब्द के स्थान पर, “प्रत्येक संस्थान” शब्द रखे जाएंगे ।  (ii) उपधारा (2) में, “संस्थान” शब्द के स्थान पर, “प्रत्येक संस्थान” शब्द रखे जाएंगे ।  (iii) उपधारा (3) में, “संस्थान के लेखाओं” शब्दों के स्थान पर, “किसी संस्थान के लेखाओं” शब्द रखे जाएंगे ;  (iv) उपधारा (4) में, “संस्थान” शब्द के स्थान पर, “प्रत्येक संस्थान” शब्द रखे जाएंगे । |  |  | |
| धारा 24 का संशोधन । |  | **25.** मूल अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (1) में, “संस्थान” शब्द के स्थान पर, “प्रत्येक संस्थान” शब्द रखे जाएंगे । |  |  | |
| धारा 25 का संशोधन । |  | **26.** मूल अधिनियम की धारा 25 में, “संस्थान” शब्द के स्थान पर, “किसी संस्थान” शब्द रखे जाएंगे । |  |  | |
| धारा 27 का संशोधन । |  | **27.** मूल अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (1) में, “संस्थान” शब्द के स्थान पर, “प्रत्येक संस्थान” शब्द रखे जाएंगे । |  |  | |
| धारा 28 का संशोधन । |  | **28.** मूल अधिनियम की धारा 28 में, “संस्थान के अध्यादेशों” शब्दों के स्थान पर, “प्रत्येक संस्थान के अध्यादेशों” शब्द रखे जाएंगे । |  |  | |
| नए अध्‍याय 2–क का अंत: स्‍थापन । |  | **29**. मूल अधिनियम के अध्‍याय 2 के पश्‍चात्, निम्‍नलिखित अध्‍याय अंत: स्‍थापित किया जाएगा, अर्थात् :**—** |  |  |
|  |  | **अध्‍याय 2क**  **परिषद्** |  |  |
| परिषद् की स्‍थापना । |  | 30क. (1) ऐसी तारीख से जिसे केन्‍द्रीय सरकार, इस निमित्‍त राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्‍ट करे, अनुसूची के स्‍तंभ (3) में सभी संस्‍थानों के लिए परिषद् के नाम से ज्ञात एक केन्‍द्रीय निकाय की स्‍थापना की जाएगी । |  |  |
|  |  | (2) परिषद् निम्‍नलिखित सदस्‍यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:**—**  (क) औषधियों का प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले केन्‍द्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग का भारसाधक मंत्री, अध्‍यक्ष, पदेन ;  (ख) औषधियों का प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले केन्‍द्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग का भारसाधक राज्‍य मंत्री, उपाध्‍यक्ष, पदेन ;  (ग) औषधियों का प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले केन्‍द्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग का भारसाधक सचिव, पदेन ;  (घ) प्रत्‍येक शासक बोर्ड का अध्‍यक्ष, पदेन ;  (ड.) प्रत्‍येक संस्‍थान का निदेशक, पदेन ;  (च) अध्‍यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, पदेन ;  (छ) महानिदेशक, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, पदेन ;  (ज) जैव प्रौद्योगिकी, स्‍वास्‍थ्‍य अनुसंधान, उच्‍च शिक्षा तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित केन्‍द्रीय सरकार के मंत्रालयों या विभागों का प्रतिनिधित्‍व करने वाले भारत सरकार के चार सचिव, पदेन ;  (झ) कुलाध्‍यक्ष द्वारा नामित किए जाने वाले तीन से अन्‍यून किन्‍तु पांच से अनधिक व्‍यक्‍ति, जिनमें से एक महिला होगी, जो शिक्षा, औषधि उद्योग, चिकित्‍सा युक्‍ति, उद्योग या औषधीय अनुसंधान में विशेष ज्ञान या व्‍यवहारिक अनुभव रखते हों ;  (ञ) तीन संसद सदस्‍य जिनमें से दो लोकसभा द्वारा तथा एक राज्‍यसभा द्वारा अपने सदस्‍यों में से निर्वाचित किए जाएंगे ;  (ट) अध्‍यक्ष, भारतीय ओषधि विनिर्माण संगम, पदेन ;  (ठ) अध्‍यक्ष, भारतीय औषधीय उत्‍पादक संगठन, पदेन ;  (ड) अध्‍यक्ष, भारतीय औषधि परिषद्, पदेन ;  (ढ) औषधियों से संबंधित केन्‍द्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग का वित्‍तीय सलाहकार, पदेन ;  (ण) औषधियों का प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले केन्‍द्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग का भारत सरकार का संयुक्‍त सचिव, पदेन । |  |  |
|  |  | (3) यह घोषित किया जाता है कि परिषद् के सदस्‍य का पद धारण करने वाला व्‍यक्‍ति संसद के किसी सदन का सदस्‍य चुने जाने या सदस्‍य होने से निर्हरित नहीं होगा । |  |  |
|  |  | 30ख. (1) इस धारा में अन्‍यथा उपबंधित के सिवाय, परिषद् के किसी सदस्‍य की पदावधि, यथास्‍थिति उसके नामित या निर्वाचित होने की तारीख से तीन वर्ष होगी ।  (2) किसी पदेन सदस्‍य की पदावधि तब तक बनी रहेगी जब तक वह उस पद को धारण करता है जिसके आधार पर वह सदस्‍य है ।  (3) धारा 30क की उपधारा (2) के खंड (ञ) के अधीन निर्वाचित किसी सदस्‍य की पदावधि समाप्‍त हो जाएगी जैसे ही वह मंत्री या राज्‍यमंत्री या उपमंत्री, अथवा लोकसभा का अध्‍यक्ष या उपाध्‍यक्ष, अथवा राज्‍यसभा का उपसभापति बनता है या उस सदन का, जिसने उसे निर्वाचित किया है, सदस्‍य नहीं रहता है ।  (4) किसी आकस्‍मिक रिक्‍ति को भरने के लिए नामित या निर्वाचित सदस्‍य की पदावधि उस सदस्‍य की शेष पदावधि के लिए होगी, जिसके स्‍थान पर उसे नामित या निर्वाचित किया गया है ।  (5) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, कोई पद छोडने वाला सदस्‍य, यदि केन्‍द्रीय सरकार अन्‍यथा निदेश नहीं देती, अपने पद पर बना रहेगा, जब तक कि कोई अन्‍य व्‍यक्‍ति उसके स्‍थान पर नामित या निर्वाचित नहीं होता ।  (6) परिषद् के सदस्‍यों को केन्‍द्रीय सरकार द्वारा ऐसे यात्रा और अन्‍य भत्‍ते संदत्‍त किए जाएंगे, जैसा उस सरकार द्वारा अवधारित किया जाए, किन्‍तु कोई भी सदस्‍य इस उपधारा के कारण किसी वेतन का हकदार नहीं होगा । |  | परिषद् के सदस्‍यों की पदावधि, रिक्‍तियां और उन्‍हें संदेय भत्‍ते । |
|  |  | 30ग. (1) परिषद् का, सभी संस्‍थानों के क्रियाकलापों के समन्‍वय तथा ऐसे सभी उपाय करने जिससे औषध शिक्षा और अनुसंधान का नियोजित और समन्‍वित विकास सुनिश्‍चित हो और उनके मानक बनाये रखने का साधारण कर्तव्‍य होगा ।  (2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, परिषद् निम्‍नलिखित कार्य करेगी, अर्थात् :**—**   1. पाठ्यक्रमों की अवधि, संस्‍थानों द्वारा प्रदत्‍त की जाने वाली डिग्रियों तथा विद्यासंबंधी विशेष उपाधियों, प्रवेश मानक तथा अन्‍य विद्यासंबंधी विषयों से संबंधित मामलों पर सलाह देना ; 2. काडर, कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तों, छात्रवृत्‍ति और फीस माफी संस्‍थित करने, फीसों के उद्ग्रहण और सामान्‍य हित के अन्‍य विषयों के संबंध में नीति अधिकथित करना ; 3. प्रत्‍येक संस्‍थान की विकास योजनाओं की परीक्षा करना तथा उनमें से ऐसी योजनाओं का अनुमोदन करना जो आवश्‍यक समझी जाएं तथा ऐसी अनुमोदित योजनाओं की वित्‍तीय विवक्षाओं को भी मोटे तौर पर इंगित करना ; 4. औषध शिक्षा तथा संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास के संवर्धन हेतु नीति या मार्गदर्शी सिध्‍दांत अधिकथित करना, समन्‍वय का संवर्धन और विकासों की निगरानी करना तथा उनसे आनुषंगिक विषय ; 5. प्रत्‍येक संस्‍थान के वार्षिक बजट प्राक्‍कलनों की परीक्षा करना तथा केन्‍द्रीय सरकार को उस प्रयोजन के लिए निधियों के आबंटन की सिफारिश करना ; 6. इस अधिनियम के अधीन कुलाध्‍यक्ष द्वारा किए जाने वाले किसी कार्य के संबंध में उसे सलाह देना, यदि ऐसा अपेक्षित हो ; और   (छ) ऐसे अन्‍य कार्य करना जो उसे इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन समनुदेशित किए जाएं । |  | परिषद् के कार्य । |
|  |  | (3) परिषद् की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार होगी तथा वह अपनी बैठकों में ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगी जो विहित की जाएं । |  |  |
| परिषद् का अध्‍यक्ष । |  | 30घ. (1) साधारणतया परिषद् का अध्‍यक्ष, परिषद् की बैठकों में अध्‍यक्षता करेगा :  परन्‍तु अध्‍यक्ष की अनुपस्‍थिति में, उपाध्‍यक्ष परिषद् की बैठकों में अध्‍यक्षता करेगा :  परन्‍तु यह और की अध्‍यक्ष और उपाध्‍यक्ष, दोनों की अनुपस्‍थिति में, बैठक में उपस्‍थित सदस्‍यों द्वारा उनमें से स्‍वयं के द्वारा चुना गया कोई अन्‍य सदस्‍य बैठक में अध्‍यक्षता करेगा ।  (2) परिषद् के अध्‍यक्ष का यह कर्तव्‍य होगा कि वह यह सुनिश्‍चित करे कि परिषद् द्वारा किए गए निर्णय कार्यान्‍वित किए जाएं ।  (3) अध्‍यक्ष, ऐसी अन्‍य शक्‍तियों का प्रयोग तथा ऐसे अन्‍य कर्तव्‍यों को करेगा जो उसे अधिनियम के अधीन समनुदेशित किए जाएं । |  |  |
|  |  | 30ङ. (1) केन्‍द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अध्‍याय के उपबंधों के क्रियान्‍वयन हेतु नियम बना सकेगी ।  (2) विशिष्‍टतया और पूर्वगामी शक्‍ति की व्‍यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्‍नलिखित सभी या किन्‍हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :**—**   1. परिषद् के सदस्‍यों के बीच रिक्‍तियां भरने की रीति ; 2. परिषद् का सदस्‍य चुने जाने तथा सदस्‍य बने रहने के लिए निर्हर्ताएं ; 3. वे परिस्‍थितियां तथा वह प्राधिकारी जिस के द्वारा सदस्‍यों को हटाया जा सकेगा ; 4. परिषद् की बैठकें तथा उनमें कारबार के संचालन की प्रक्रिया ; 5. परिषद् के सदस्‍यों को संदेय यात्रा और अन्‍य भत्‍ते ; और   (च) परिषद् के कार्य तथा वह रीति जिसमें ऐसे कार्य किए जा सकेंगे । |  | इस अध्‍याय के विषयों के संबंध में नियम बनाने की शक्‍ति । |
|  |  | (3) इस अध्‍याय के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाये जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन, उस नियम में परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात, यथास्‍थिति, वह नियम ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा या निष्‍प्रभाव हो जाएगा किन्तु, उस नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्‍प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गयी किसी बात की विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा । |  |  |
|  |  | **30.** मूल अधिनियम की धारा 31 में, “संस्‍थान”, शब्‍द के स्‍थान पर, “परिषद् या किसी संस्‍थान” शब्‍द रखे जाएंगे । |  | धारा 31 का संशोधन । |
|  |  | **31.** मूल अधिनियम की धारा 32 में,**—**  (i) पार्श्‍व शीर्ष में, “संस्‍थान”, शब्‍द के स्‍थान पर, “संस्‍थानों” शब्‍द रखे जाएंगे ;  (ii) “संस्‍थान”, शब्‍द के स्‍थान पर, “प्रत्‍येक संस्‍थान” शब्‍द रखे जाएंगे ; |  | धारा 32 का संशोधन । |
|  |  | **32.** मूल अधिनियम की धारा 33 में, “जब कभी संस्‍थान”, शब्‍दों के स्‍थान पर, “जब कभी कोई संस्‍थान” शब्‍द रखे जाएंगे । |  | धारा 33 का संशोधन । |
|  |  | **33.** मूल अधिनियम की धारा 33 के पश्‍चात्, निम्‍नलिखित धारा अंत: स्‍थापित की जाएगी, अर्थात् :**—** |  | नई धारा 33क का अंत: स्‍थापन । |
|  |  | “33क इस अधिनियम के प्रभावी प्रशासन के लिए संस्‍थान ऐसे निदेशों का कार्यान्‍वयन करेगा जो केन्‍द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जाएं ।” । |  | केन्‍द्रीय सरकार की निदेश जारी करने की शक्‍ति । |
| धारा 35 का संशोधन । |  | **34.** मूल अधिनियम की धारा 35 में, खंड (ख) के स्‍थान पर, निम्‍नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :**—** |  |  |
|  |  | “(ख) जब तक अनुसूची के स्‍तंभ (3) में उल्‍लिखित संस्‍थानों के संबंध में इस अधिनियम के अधीन प्रथम परिनियम और अध्‍यादेश नहीं बनाए जाते हैं, तब तक यथाप्रवृत्‍त राष्‍ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्‍थान, सेक्‍टर-67, एस. ए. एस. नगर (मोहाली), जिला रोपड., पंजाब के परिनियम और अध्‍यादेश, आवश्‍यक उपांतरणों और अनुकूलनों के साथ उन संस्‍थानों को लागू होंगे, जहां तक वे इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं हैं ।” । |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| अनुसूची  **[धारा 2, धारा 3(क), (छ), (छग), धारा 4(1), धारा 30क और धारा 35(ख) देखिए]** | | | |
| क्र0 सं0 | संस्‍थान का अवस्‍थान और राज्‍य | इस अधिनियम के अधीन निगमित संस्‍थानों के नाम | संस्‍थान की स्‍थापना की तारीख |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | मोहाली, पंजाब | राष्‍ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्‍थान सोसाइटी, मोहाली | 8 जुलाई, 1998 |
| 2. | अहमदाबाद, गुजरात | राष्‍ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्‍थान, अहमदाबाद | 6 सितंबर, 2007 |
| 3. | हाजीपुर, बिहार | राष्‍ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्‍थान, हाजीपुर | 6 सितंबर, 2007 |
| 4. | हैदराबाद, तेलंगाना | राष्‍ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्‍थान, हैदराबाद | 6 सितंबर, 2007 |
| 5. | कोलकाता, पश्‍चिमी बंगाल | राष्‍ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्‍थान, कोलकाता | 6 सितंबर, 2007 |
| 6. | गुवाहाटी, असम | राष्‍ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्‍थान, गुवाहाटी | 5 अगस्‍त, 2008 |
| 7. | रायबरेली, उत्‍तर प्रदेश | राष्‍ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्‍थान, रायबरेली | 26 सितंबर, 2008 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **उद्देश्यों और कारणों का कथन**  राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 1998 (1998 का 13) राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान मोहाली, पंजाब को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करने और उसके निगमन तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया था ।  2. अधिनियम, केन्द्रीय सरकार को देश के विभिन्न भागों में वैसे ही संस्थानों को स्थापित करने के लिए सशक्त बनाने हेतु तत्पश्चात् वर्ष 2007 में अधिनियम का संशोधन किया गया था। इसके पश्चात् 2007-08 के दौरान अहमदाबाद, गुवाहाटी, हाजीपुर, हैदराबाद, कोलकत्ता और रायबरेली में छह नए संस्थान स्थापित किए गए थे ।  3. यह स्पष्ट किए जाने की आवश्यकता महसूस हुई कि इस प्रकार स्थापित किए गए छह संस्थानों के साथ-साथ अधिनियम के अधीन स्थापित किए जाने वाला कोई अन्य वैसा ही संस्थान राष्ट्रीय महत्व के संस्थान होगा । सभी ऐसे संस्थानों के क्रियाकलापों को समन्वित करने के अनुसरण में औषध शिक्षा और अनुसंधान का समन्वित विकास सुनिश्चित करने और मानकों को बनाए रखने आदि के लिए एक परिषद् नामक केन्द्रीय निकाय स्थापित करना आवश्यक है । प्रत्येक ऐसे संस्थान के शासी बोर्ड को व्यवस्थित करना और ऐसे संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे पाठ्यक्रमों के विस्तार और संख्या को व्यापक करने की भी आवश्यकता है ।  4. राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2021 अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित के लिए उपबंध करता है**—**  (i) धारा 2 का संशोधन यह घोषित करता है कि**—**  (क) प्रत्येक ऐसा संस्थान राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान है ;  (ख) राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2021 के प्रारंभ पर और इसके पश्चात् धारा 4 की उपधारा (2क) के अधीन स्थापित किया गया प्रत्येक संस्थान राष्ट्रीय महत्व का भी संस्थान होगा ;  (ii) इसके सदस्यों की विद्यमान पदसंख्या को 23 से 12 करना, प्रत्येक ऐसे संस्थान के शासी बोर्ड को व्यवस्थित करने के लिए धारा 4 का संशोधन ;  (iii) ऐसे संस्थान द्वारा चलाए जा रहे पाठ्यक्रमों के विस्तार और संख्या को व्यापक करने के लिए जिसमें स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री, डॉक्टरेट और पोस्ट डॉक्टरेट उपाधि और औषध शिक्षा में अनुसंधान, एकीकृत पाठ्यक्रम, प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम और कार्यपालक शिक्षा पाठ्यक्रम शामिल है, धारा 7 का संशोधन ;  (iv) क्रमश: परिषद् को स्थापित करने, कार्यालय के निबंधन आदि, परिषद् के सदस्यों, परिषद् के कार्य, परिषद् के अध्यक्ष और केन्द्रीय सरकार द्वारा नियम बनाने की शक्ति के लिए उपबंध करने हेतु नई धारा 30क, धारा 30ख, धारा 30ग, धारा 30घ, धारा 30ङ, को अंत: स्थापित किया गया है ;  (v) अधिनियम के प्रभावी प्रशासन के लिए संस्थान को निदेश जारी करने के लिए केन्द्रीय सरकार को सशक्त करने हेतु नई धारा 33क को अंत: स्थापित किया गया है ।  5. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए है ।  **नई दिल्ली ; डी.वी. सदानंद गौड़ा**  **5 मार्च, 2021** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन**  विधेयक का खंड 29 मूल अधिनियम में नए अध्याय 2क और नई धाराएं 30क से 30ङ अंत: स्थापित करने के लिए है । प्रस्तावित धारा 30ङ केन्द्रीय सरकार को (i) परिषद् के सदस्यों के बीच रिक्तियां भरने की रीति ; (ii) परिषद् का सदस्य चुने जाने तथा सदस्य बने रहने के लिए निर्हर्ताएं ; (iii) परिस्थितियां जिनमें तथा प्राधिकारी जिस के द्वारा सदस्यों को हटाया जा सकेगा ; (iv) परिषद् की बैठकें तथा उनमें कारबार के संचालन की प्रक्रिया ; (v) परिषद् के सदस्यों को संदेय यात्रा और अन्य भत्ते ; और (vi) परिषद् के कार्यों तथा वह रीति जिसमें ऐसे कार्य किए जा सकेंगे, का उपबंध करने के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करती है । |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **उपाबंध**  **राष्‍ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्‍थान अधिनियम, 1998 (1998 का अधिनियम संख्‍यांक 13) से उद्धरण**  **राष्‍ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्‍थान के नाम से ज्ञात**  **संस्‍था को राष्‍ट्रीय महत्‍व की संस्‍था घोषित करने के**  **लिए और उसके निगमन तथा उनसे संबंधित**  **विषयों का उपबन्‍ध**  **करने के लिए**  **अधिनियम** |  |  |
|  |  | \* \* \* \* \* \* |  |  |
|  |  | **अध्‍याय 1**  **प्रारंभिक** |  |  |
|  |  | **1.** (1) इस अधिनियम का संक्षिप्‍त नाम राष्‍ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्‍थान अधिनियम, 1998है । |  | संक्षिप्‍त नाम और प्रारम्‍भ । |
|  |  | \* \* \* \* \* \* |  |  |
|  |  | **2.** राष्‍ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्‍थान, सेक्‍टर-67, एस० ए० एस० नगर, (मोहाली) जिला रोपड़, पंजाब नामक संस्‍था के उद्देश्‍य ऐसे हैं, कि वे उसे राष्‍ट्रीय महत्‍व की संस्‍था बनाते हैं, अत: यह घोषित किया जाता है कि राष्‍ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्‍थान नामक संस्‍था राष्‍ट्रीय महत्‍व की संस्‍था है । |  | राष्‍ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्‍थान को राष्‍ट्रीय महत्‍व की संस्‍था घोषित किया जाना । |
|  |  | **3.** इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्‍यथा अपेक्षित न हो,—  (क) “नियत दिन” से धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन राष्‍ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्‍थान की स्‍थापना की तारीख अभिप्रेत है;  (ख) “बोर्ड” से धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन गठित संस्‍थान का शासक-बोर्ड अभिप्रेत है;  (ग) “अध्‍यक्ष” से धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन नामनिर्देशित संस्‍थान का अध्‍यक्ष अभिप्रेत है;  (घ) “संकायाध्‍यक्ष” से धारा 17 के अपील नियुक्‍त संस्‍थान का संकायाध्‍यक्ष अभिप्रेत है;  (ङ) “निदेशक” से धारा 16 के अपील नियुक्‍त संस्‍थान का निदेशक अभिप्रेत है;  (च) “निधि” से धारा 21 के अपील रखी जाने वाली संस्‍थान निधि अभिप्रेत है;  (छ) “संस्‍थान” से धारा 4 की उपधारा (1) या उपधारा (2क) के अधीन स्‍थापित राष्‍ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्‍थान अभिप्रेत है;  (ज) “सिनेट” से धारा 13 में निर्दिष्‍ट संस्‍थान की सिनेट अभिप्रेत है;  \* \* \* \* \* \*  (ञ) “परिनियम” और “अध्‍यादेश” से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए संस्‍थान के परिनियम और अध्‍यादेश अभिप्रेत हैं । |  | परिभाषाएं । |
|  |  | **अध्‍याय 2**  **संस्‍थान** |  |  |
| संस्‍थान की स्‍थापना । |  | **4.** (1) ऐसी तारीख से जो केन्‍द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे, राष्‍ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्‍थान के पूर्वोक्‍त नाम का एक निगमिति निकाय गठित किया जाएगा ।  (2) संस्‍थान का शाश्‍वत उत्तराधिकार और सामान्‍य मुद्रा होगी, और उसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए संपत्ति का अर्जन, धारण और व्‍ययन करने तथा संविदा करने की शक्‍ति होगी तथा उक्‍त नाम से वह वाद लाएगा और उस पर वाद लाया जाएगा ।  \* \* \* \* \* \*  (3) संस्‍थान शासक बोर्ड से मिलकर बनेगा, जिसमें निम्‍नलिखित व्‍यक्‍ति होंगे, अर्थात् :—  (क) अध्‍यक्ष, जो विख्‍यात शिक्षाविद्, वैज्ञानिक या प्रौद्योगिकीविद् या वृत्तिक होगा, जिसे कुलाध्‍यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा ;  (ख) संस्‍थान का निदेशक, पदेन;  (ग) भारत सरकार के संबद्ध मंत्रालय या विभाग में औषध उद्योग प्रभाग का भारसाधक संयुक्‍त सचिव, पदेन;  (घ) उस राज्‍य की, जिसमें संस्‍थान स्‍थित है, सरकार का तकनीकी शिक्षा सचिव, पदेन;  (ङ) भारत सरकार के औषध उद्योग से संबंधित मंत्रालय या विभाग का वित्तीय सलाहकार, पदेन;  (च) भारत का ओषधि महानियंत्रक, स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण मंत्रालय, भारत सरकार, पदेन;  (छ) सदस्‍य सचिव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, पदेन;  (ज) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की राष्‍ट्रीय प्रयोगशालाओं में से किसी एक का निदेशक, जो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्‍ली के महानिदेशक द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा;  (झ) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्‍थान, नई दिल्‍ली या स्‍नातकोत्तर चिकित्‍सा शिक्षा और अनुसंधान संस्‍थान, चंडीगढ़ में से किसी का निदेशक, जिसे भारत सरकार के स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण मंत्रालय द्वारा चक्रानुक्रम से नामनिर्देशित किया जाएगा;  (ञ) अध्‍यक्ष, भारतीय औषधि विनिर्माता संगम, पदेन;  (ञक) भारतीय औषध परिषद् का एक प्रतिनिधि;  (ट) अध्‍यक्ष, भारतीय औषध उत्‍पादक संगठन, पदेन;  (ठ) तीन प्रख्‍यात औषध विशेषज्ञ, जिनमें से एक शिक्षाविद्, एक अनुसंधान वैज्ञानिक और एक जैव प्रौद्योगिकीविद् होगा, जो केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे;  (ड) तीन विख्‍यात सार्वजनिक व्‍यक्‍ति या सामाजिक कार्यकर्ता जिनमें से एक या तो अनुसूचित जातियों में से या अनुसूचित जनजातियों में से कुलाध्‍यक्ष द्वारा केन्‍द्रीय सरकार द्वारा तैयार किए गए पैनल में से नामनिर्देशित किया जाएगा;  (ढ) दो औषधि निर्माण उद्योगपति, जिन्‍हें कुलाध्‍यक्ष केंद्रीय सरकार द्वारा तैयार किए गए पैनल में से नामनिर्देशित करेगा;  (ण) तीन संसद् सदस्‍य, जिनमें से दो लोक सभा के अध्‍यक्ष द्वारा लोक सभा से और एक राज्‍य सभा के सभापति द्वारा राज्‍य सभा से नामनिर्देशित किया जाएगा ।  (4) अध्‍यक्ष और पदेन शासकों से भिन्‍न शासकों की पदावधि तीन वर्ष होगी और वे ऐसे भत्तों के हकदार होंगे, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अवधारित किए जाएं :  परन्‍तु उपधारा (3) के खंड (ण) के अधीन नामनिर्दिष्‍ट किसी सदस्‍य की पदावधि यथाशीघ्र समाप्‍त हो जाएगी जैसे ही वह मंत्री या राज्‍य मंत्री या उपमंत्री या लोक सभा का अध्‍यक्ष या उपाध्‍यक्ष या राज्‍य सभा का उपसभापति बन जाता है या उस सदन का, जिससे उसे नामनिर्दिष्‍ट किया गया था, सदस्‍य नहीं रह जाता है । |  |  |
|  |  | \* \* \* \* \* \* |  |  |
|  |  | **4क.** कोई संस्‍थान, केन्‍द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अपनी अधिकारिता के भीतर विभिन्‍न स्‍थानों पर एक या अधिक केन्‍द्र स्‍थापित कर सकेगा । |  | संस्‍थान के केन्‍द्र । |
|  |  | **5.** नियत दिन से ही इस अधिनियम के अन्‍य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी संपत्तियां जो इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पूर्व सोसाइटी में निहित थी, ऐसे प्रारंभ से ही संस्‍थान में निहित हो जाएंगी । |  | संपत्तियों का निहित होना । |
|  |  | **6.** नियत दिन से ही,—  (क) किसी संविदा या किसी अन्‍य लिखत में सोसाइटी के प्रति निर्देश के बारे में यह समझा जाएगा कि वह संस्‍थान के प्रति निर्देश है;  (ख) सोसाइटी के सभी अधिकार और दायित्‍व संस्‍थान को अंतरित हो जाएंगे और वे उसके अधिकार और दायित्‍व होंगे; और  (ग) नियत दिन के ठीक पहले सोसाइटी द्वारा नियोजित प्रत्‍येक व्‍यक्‍ति अपना पद या सेवा संस्‍थान में उसी सेवावृत्ति के अनुसार, उसी पारिश्रमिक पर और उन्‍हीं शर्तों और निबंधनों पर और पेंशन, छुट्टी, उपदान, भविष्‍य-निधि और अन्‍य मामलों के बारे में उन्‍हीं अधिकारों और विशेषाधिकारों पर धारण करेगा जैसे कि वह उस दशा में धारण करता जिसमें यह अधिनियम पारित नहीं किया जाता और तब तक इसी प्रकार धारण करेगा जब तक उसका नियोजन समाप्‍त नहीं कर दिया जाता है या जब तक उसकी सेवावृत्ति, पारिश्रमिक और निबंधन और शर्तें परिनियमों द्वारा सम्‍यक्‍त: परिवर्तित नहीं कर दी जाती हैं :  परन्‍तु यदि इस प्रकार किया गया परिवर्तन ऐसे कर्मचारी को स्‍वीकार्य नहीं है तो उसका नियोजन संस्‍थान द्वारा कर्मचारी से की गई संविदा के निबंधनों के अनुसार समाप्‍त किया जा सकता है या यदि उसमें इस निमित्त कोई उपबंध नहीं किया गया है तो स्‍थायी कर्मचारी की दशा में तीन मास के पारिश्रमिक के बराबर और अन्‍य कर्मचारी की दशा में एक मास के पारिश्रमिक के बराबर प्रतिकर देकर संस्‍थान द्वारा समाप्‍त किया जा सकता है । |  | संस्‍थान के निगमन का प्रभाव । |
| संस्‍थान के कृत्‍य । |  | **7.** संस्‍थान के निम्‍नलिखित कृत्‍य होंगे—  \* \* \* \* \* \*  (ii) औषध-शिक्षा में मास्‍टर डिग्री, डाक्‍टरेट और पोस्‍ट डाक्‍टरेट पाठ्यक्रमों तथा अनुसंधान पर ध्‍यान देना;  \* \* \* \* \* \*  (v) ऐसी शैक्षिक या अन्‍य संस्‍थाओं के साथ, जिनके उद्देश्‍य पूर्णत: या भागत: संस्‍थान के उद्देश्‍यों के समरूप हैं, संकाय के सदस्‍यों और विद्वानों का आदान-प्रदान करके और साधारणतया ऐसी रीति से, जो उनके समान उद्देश्‍य के लिए सहायक हों, सहयोग करना;  \* \* \* \* \* \*  (x) औषध-क्षेत्रों में, राष्‍ट्रीय, शैक्षिक, वृत्तिक और औद्योगिक वचन-बद्धताओं पर केन्‍द्रीभूत करते हुए, नव ज्ञान और विद्यमान जानकारी के पारेषण के सृजन के लिए एक विश्‍व स्‍तरीय केन्‍द्र को विकसित करना;  \* \* \* \* \* \* |  |  |
| बोर्ड की शक्‍तियां । |  | **8.** (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, बोर्ड संस्‍थान के कार्यकलाप के साधारण अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होगा और संस्‍थान की उन सभी शक्‍तियों का प्रयोग करेगा जिनका इस अधिनियम, परिनियमों और अध्‍यादेशों द्वारा अन्‍यथा उपबंध नहीं किया गया है और उसे सिनेट के कार्यों का पुनर्विलोकन करने की शक्‍ति होगी ।  (2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड,—  (क) संस्‍थान के प्रशासन और कार्यकरण से संबंधित नीति विषयक प्रश्‍नों का विनिश्‍चय करेगा;  (ख) फीसों और अन्‍य प्रभारों को नियत करेगा, उनकी मांग करेगा और उन्‍हें प्राप्‍त करेगा;  (ग) संस्‍थान के छात्रों के निवास का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करेगा और उनके अनुशासन का विनियमन और उनके स्‍वास्‍थ्‍य, सामान्‍य कल्‍याण और संस्‍कृति तथा सामूहिक जीवन के संवर्धन की व्‍यवस्‍था करेगा;  (घ) अध्‍यापन और अन्‍य पदों की स्‍थापना करेगा और उन पर (निदेशक के पद को छोड़कर) नियुक्‍तियां करेगा;  (ङ) परिनियम और अध्‍यादेश बनाएगा और उनमें परिवर्तन, उपान्‍तरण करेगा या उन्‍हें विखण्‍डित करेगा;  (च) अध्‍येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, पुरस्‍कार और पदक संस्‍थित और प्रदान करेगा;  (छ) संस्‍थान की वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक लेखाओं और आगामी वित्तीय वर्ष के बजट प्राक्‍कलनों उनकी विकास योजनाओं के विवरण सहित, विचार करेगा और ऐसे संकल्‍प पारित करेगा, जो वह ठीक समझे;  (ज) ऐसी सभी बातें करेगा जो पूर्वोक्‍त सभी या किन्‍हीं कृत्‍यों को पूरा करने के लिए आवश्‍यक, आनुषंगिक या सहायक हों ।  (3) बोर्ड को उतनी समितियां नियुक्‍त करने की शक्‍ति होगी जितनी वह इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्‍तियों के प्रयोग और अपने कर्तव्‍यों के पालन के लिए आवश्‍यक समझे ।  (4) धारा 4 की उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, बोर्ड केन्‍द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी स्‍थावर संपत्ति का किसी भी रीति से व्‍ययन नहीं करेगा । |  |  |
|  |  | **9.** (1) संस्‍थान सभी स्‍त्रियों और पुरुषों के लिए खुला होगा चाहे वे किसी भी मूलवंश, पंथ, जाति या वर्ग के हों, और सदस्‍यों, छात्रों, शिक्षकों या कर्मकारों को प्रवेश देने या नियुक्‍त करने में या किसी भी अन्‍य बात के संबंध में धार्मिक विश्‍वास या मान्‍यता का कोई मानदंड या शर्त अधिरोपित नहीं की जाएगी ।  (2) कोई संस्‍थान किसी संपत्ति की कोई वसीयत, संदान या अंतरण, स्‍वीकार नहीं करेगा जिसमें, बोर्ड की राय में, इस धारा के भाव और उद्देश्‍य के विरुद्ध कोई शर्त या बाध्‍यता अन्‍तर्ग्रस्‍त है । |  | संस्‍थान का सभी मूलवंशों, पंथों और वर्गों के लिए खुला होना । |
|  |  | **10.** संस्‍थान में सभी शिक्षण कार्य संस्‍थान द्वारा या उसके नाम से इस निमित्त बनाए गए परिनियमों और अध्‍यादेशों के अनुसार किया जाएगा । |  | संस्‍थान में शिक्षण । |
|  |  | **11.** (1) भारत का राष्‍ट्रपति संस्‍थान का कुलाध्‍यक्ष होगा ।  (2) कुलाध्‍यक्ष संस्‍थान के कार्य और प्रगति का पुनर्विलोकन करने के लिए और उसके कार्यकलापों की जांच करने के लिए और उन पर रिपोर्ट ऐसी रीति से देने के लिए जैसी कुलाध्‍यक्ष निर्दिष्‍ट करे, एक या अधिक व्‍यक्‍तियों को नियुक्‍त कर सकेगा । |  | कुलाध्‍यक्ष । |
|  |  | \* \* \* \* \* \* |  |  |
|  |  | **12.** संस्‍थान के अन्‍य प्राधिकरण निम्‍नलिखित होंगे, अर्थात्:—  \* \* \* \* \* \* |  | संस्‍थान के प्राधिकरण । |
|  |  | **13.** संस्‍थान की सिनेट में निम्‍नलिखित व्‍यक्‍ति होंगे अर्थात्:—  \* \* \* \* \* \* |  | सिनेट । |
| सिनेट के कृत्‍य । |  | **14.** इस अधिनियम, परिनियमों और अध्‍यादेशों के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी संस्‍थान की सिनेट किसी संस्‍थान में शिक्षण, शिक्षा और परीक्षा के स्‍तरों का नियंत्रण और साधारण विनियमन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगी तथा वह ऐसी अन्‍य शक्‍तियों का प्रयोग और ऐसे अन्‍य कर्तव्‍यों का पालन करेगी जो परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त की जाएं या उस पर अधिरोपित किए जाएं । |  |  |
|  |  | \* \* \* \* \* \* |  |  |
| निदेशक । |  | **16.** (1) संस्‍थान का निदेशक, बोर्ड द्वारा कुलाध्‍यक्ष के पूर्व अनुमोदन से नियुक्‍त किया जाएगा ।  (2) निदेशक, संस्‍थान का मुख्‍य शैक्षणिक और कार्यपालक अधिकारी होगा और वह संस्‍थान के उचित प्रशासन के लिए और शैक्षणिक स्‍तर तथा उसमें प्रशिक्षण प्रदान करने तथा अनुशासन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा ।  (3) निदेशक, बोर्ड को वार्षिक रिपोर्ट और लेखे प्रस्‍तुत करेगा ।  (4) निदेशक ऐसी अन्‍य शक्‍तियों का प्रयोग और ऐसे अन्‍य कर्तव्‍यों का पालन करेगा जो इस अधिनियम या परिनियमों या अध्‍यादेशों द्वारा उसे समनुदेशित किए जाएं । |  |  |
| संकायाध्‍यक्ष । |  | **17.** (1) संस्‍थान के संकायाध्‍यक्ष की नियुक्‍ति ऐसे निबंधनों और शर्तों पर की जाएगी जो परिनियमों द्वारा अधिकथित की जाएं और वह ऐसी शक्‍तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्‍यों का पालन करेगा जो उसे इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा अथवा निदेशक द्वारा उसे सौपे जाएं ।  (2) संकायाध्‍यक्ष, निदेशक को रिपोर्ट करेगा । |  |  |
| कुल-सचिव । |  | **18.** (1) संस्‍थान के कुल-सचिव की नियुक्‍ति ऐसे निबंधनों और शर्तों पर की जाएगी जो परिनियमों द्वारा अधिकथित की जाए और वह संस्‍थान के अभिलेखों, सामान्‍य मुद्रा, संस्‍थान की निधियों तथा संस्‍थान की ऐसी अन्‍य संपत्ति का जो बोर्ड उसके प्रभार में सौंपे, अभिरक्षक होगा ।  (2) कुल-सचिव, बोर्ड, सिनेट और ऐसी समितियों के, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं, सचिव के रूप में कार्य करेगा ।  (3) कुल-सचिव अपने कृत्‍यों के उचित निर्वहन के लिए निदेशक के प्रति उत्तरदायी होगा ।  (4) कुल-सचिव ऐसी अन्‍य शक्‍तियों का प्रयोग और ऐसे अन्‍य कर्तव्‍यों का पालन करेगा जो इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा अथवा निदेशक द्वारा उसे सौंपे जाएं । |  |  |
|  |  | \* \* \* \* \* \* |  |  |
| केन्‍द्रीय सरकार द्वारा अनुदान । |  | **20.** संस्‍थान को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्‍यों का दक्षतापूर्वक निर्वहन करने में समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए, केन्‍द्रीय सरकार, संसद् द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्‍यक् विनियोजन के पश्‍चात् संस्‍थान को प्रत्‍येक वित्तीय वर्ष में ऐसी धनराशि का और ऐसी रीति से, जो वह उचित समझे, संदाय करेगी । |  |  |
| संस्‍थान की निधि । |  | **21.** (1) संस्‍थान एक निधि रखेगा जिसमें निम्‍नलिखित जमा किए जाएंगे,—  (क) केन्‍द्रीय सरकार द्वारा दिए गए सभी धन;  (ख) सभी फीस तथा अन्‍य प्रभार;  (ग) अनुदान, दान, संदान, उपकृति, वसीयत अथवा अंतरणों के रूप में संस्‍थान द्वारा प्राप्‍त सभी धन; और  (घ) किसी अन्‍य रीति या स्रोत से संस्‍थान को प्राप्‍त सभी धन । |  |  |
|  |  | \* \* \* \* \* \* |  |  |
|  |  | **22.** केन्‍द्रीय सरकार, धारा 21 में किसी बात के होते हुए भी, संस्‍थान को—  (क) विन्‍यास निधि और विनिर्दिष्‍ट प्रयोजन के लिए किसी अन्‍य निधि की स्‍थापना करने का;  (ख) अपनी निधि में से कोई धन विन्‍यास निधि या किसी अन्‍य निधि में अंतरण करने का,  निदेश दे सकेगी । |  | विन्‍यास निधि की स्‍थापना । |
|  |  | **23.** (1) संस्‍थान उचित लेखा और अन्‍य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखाओं का एक वार्षिक विवरण, जिसके अंतर्गत तुलन-पत्र भी है, ऐसे प्ररूप में जो विनिर्दिष्‍ट किया जाए ऐसे साधारण निदेशों के अनुसार तैयार करेगा जो केन्‍द्रीय सरकार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी करे ।  (2) संस्‍थान के लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक करेगा और उस संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा उपगत कोई भी व्‍यय संस्‍थान द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की संदेय होगा ।  (3) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक तथा संस्‍थान के लेखाओं की लेखापरीक्षा करने के संबंध में उसके द्वारा नियुक्‍त व्‍यक्‍ति के उस लेखापरीक्षा के संबंध में वही अधिकार, विशेषाधिकार तथा प्राधिकार होंगे जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सरकारी लेखाओं की लेखापरीक्षा के संबंध में होते हैं और उसे विशिष्‍ट रूप से बहियां, लेखाओं, संबद्ध वाउचरों तथा अन्‍य दस्‍तावेजों और कागज-पत्रों के पेश किए जाने की मांग करने तथा संस्‍थान के कार्यालयों का निरीक्षण करने का भी अधिकार होगा ।  (4) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्‍त किसी अन्‍य व्‍यक्‍ति द्वारा यथा प्रमाणित संस्‍थान के लेखे, उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट सहित, प्रति वर्ष केन्‍द्रीय सरकार को अग्रेषित किए जाएंगे और वह सरकार उन्‍हें संसद् के प्रत्‍येक सदन के समक्ष रखवाएगी । |  | लेखा और लेखापरीक्षा । |
|  |  | **24.** (1) संस्‍थान अपने कर्मचारियों के, जिसके अंतर्गत निदेशक भी है, फायदे के लिए ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं, ऐसी पेंशन, बीमा और भविष्‍य निधियां स्‍थापित करेगा, जो वह ठीक समझे । |  | पेंशन और भविष्‍य निधि । |
|  |  | \* \* \* \* \* \* |  |  |
|  |  | **25.** संस्‍थान के कर्मचारिवृंद की सभी नियुक्‍तियां निदेशक की नियुक्‍ति को छोड़कर परिनियमों द्वारा अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार निम्‍नलिखित द्वारा की जाएंगी—  (क) यदि नियुक्‍ति सहायक आचार्य या उससे ऊपर के पद पर शैक्षणिक कर्मचारिवृन्‍द के बारे में की जाती है या यदि नियुक्‍ति गैर-शैक्षणिक कर्मचारिवृन्‍द के बारे में किसी काडर में की जाती है जिसका अधिकतम वेतनमान सहायक आचार्य के वेतनमान के समान या उससे उच्‍चतर है, तो बोर्ड द्वारा; और  (ख) किसी अन्‍य मामले में, निदेशक द्वारा । |  | नियुक्‍तियां । |
|  |  | \* \* \* \* \* \* |  |  |
| परिनियम किस प्रकार बनाए जाएंगे । |  | **27.** (1) संस्‍थान का प्रथम परिनियम बोर्ड द्वारा कुलाध्‍यक्ष के पूर्व अनुमोदन से बनाया जाएगा और उसकी एक प्रति, यथाशक्‍य शीघ्र, संसद् के प्रत्‍येक सदन के समक्ष रखी जाएगी । |  |  |
|  |  | \* \* \* \* \* \* |  |  |
| अध्‍यादेश । |  | **28.** इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संस्‍थान के अध्‍यादेशों में निम्‍नलिखित सभी या किन्‍हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:— |  |  |
|  |  | \* \* \* \* \* \* |  |  |
|  |  | **अध्‍याय 3**  **प्रकीर्ण** |  |  |
| रिक्‍तियों के कारण कार्यों और कार्यवाहियों का अविधिमान्‍य न होना । |  | **31.** इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन गठित संस्‍थान या बोर्ड अथवा सिनेट या किसी अन्‍य निकाय का कोई कार्य निम्‍नलिखित कारणों से अविधिमान्‍य नहीं होगा,—  (क) उसमें कोई रिक्‍ति या उसके गठन में कोई त्रुटि; या  (ख) उसके सदस्‍य के रूप में कार्य करने वाले व्‍यक्‍ति के निर्वाचन, नामनिर्देशन या नियुक्‍ति में कोई त्रुटि; या  (ग) उसकी प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता जो मामले के गुणागुण को प्रभावित नहीं करती है । |  |  |
| संस्‍थान द्वारा उपाधियों, आदि का दिया जाना । |  | **32.** विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 में या तत्‍समय प्रवृत्त किसी अन्‍य विधि में किसी बात के होते हुए भी, संस्‍थान को इस अधिनियम के अधीन उपाधियां और अन्‍य शैक्षिक विशिष्‍टियां तथा खिताब देने की शक्‍ति होगी । |  | 1956 का 3 |
| प्रायोजित स्‍कीमें । |  | **33.** जब कभी संस्‍थान किसी सरकार, विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग या संस्‍थान द्वारा निष्‍पादित की जाने वाली किसी स्‍कीम के प्रायोजक किसी अन्‍य अभिकरण से निधि प्राप्‍त करता है तब इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी,—  (क) संस्‍थान द्वारा प्राप्‍त रकम संस्‍थान की निधि से पृथक् रखी जाएगी और स्‍कीम के प्रयोजन के लिए ही उपयोग की जाएगी;  (ख) उस स्‍कीम को निष्‍पादित करने के लिए अपेक्षित कर्मचारिवृन्‍द प्रायोजित करने वाले संगठन द्वारा अनुबंधित निबंधनों और शर्तों के अनुसार भर्ती किया जाएगा :  परन्‍तु खंड (क) के अधीन उपयोग में न लिया गया शेष धन इस अधिनियम की धारा 22 के अधीन सृजित विन्‍यास निधि को अंतरित कर दिया जाएगा । |  |  |
|  |  | \* \* \* \* \* \* |  |  |
| संक्रमणकालीन उपबंध । |  | **35.** इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी,—  \* \* \* \* \* \*  (ख) जब तक इस अधिनियम के अधीन प्रथम परिनियम और अध्‍यादेश नहीं बनाए जाते हैं, तब तक अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पूर्व प्रवृत्त नेशनल इंस्‍टीट्यूट आफ फार्मास्‍यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, सेक्‍टर 67, साहिबजादा अजित सिंह नगर (मोहाली) जिला रोपड़, पंजाब के परिनियम और अध्‍यादेश, उस संस्‍थान को वहां तक लागू होते रहेंगे, जहां तक वे इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं हैं । |  |  |
|  |  | \* \* \* \* \* \* |  |  |